



No. 13/15/2010-6T(I),
GOVERNMENT OF HARYANA
TRANSPORT DEPARTMENT

चण्डीगढ़
11 फरवरी, 2014

सेवा में

परिवहन आयुक्त,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

विषय:- पथकर पर लगने वाले जुर्माने की राशि में छूट देने बारे ।

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के सम संख्यक पत्र दिनांक 7 फरवरी, 2014 के सन्दर्भ में ।

2. आपको सूचित किया जाता है कि उक्त सन्दर्भित पत्र में दर्शाए गए विषय 'पंजाब मोटरयान कराधान अधिनियम, 1924 के अधीन पथकर वसूल करने बारे' के स्थान पर 'पथकर पर लगने वाले जुर्माने की राशि में छूट देने बारे' पढ़ा जाए ।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में तदानुसार कार्यवाही कर ली जाए तथा सभी सम्बन्धित को सूचित कर दिया जाए।

भवदीय,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

पृष्ठ क्रमांक 3762-82

ए.टी-2/ए.एस-11

दिनांक 11-2-2014

इसकी एक प्रति सभी सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण हरियाणा राज्य को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाए और इस छूट से प्राप्त कुल राशि बारे रिपोर्ट अलग से रखे तथा सूचना 3.3. 2014 तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।

कृपया परिवहन आयुक्त,
हरियाणा चण्डीगढ़।